75

पत्रांक–15/नीति नि०–07–11/2015 का०–

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

ओम प्रकाश साह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

श्री प्रेम कान्त झा,
अपर सचिव,
स्वास्थ्य, चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री निरंजन कुमार सिन्हा,
संयुक्त सचिव,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री रविशंकर,
संयुक्त सचिव,
उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री विजय कुमार,
उप सचिव,
कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।

श्री गुलाम सरवर,
अवर सचिव,
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची।

श्री राम प्रकाश मंडल,
अवर सचिव,
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग), झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:– 3/1/18

Most urgent
अवर सचिव (प्र०-5)
कृपया आवश्यक
निरंजन
03/01/18

विषय:– सेवाशर्त्त नियमावलियों के गठन के संबंध में समीक्षात्मक बैठक।

प्रसंग:– मुख्य सचिव, झारखण्ड का अर्द्ध सरकारी पत्र दिनांक–17.08.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आपके विभागान्तर्गत विभिन्न सेवा/संवर्गो के लिए सेवाशर्त्त नियमावलियों के गठन के संदर्भ में संबंधित पदों की आवश्यकता/कैडर सामंजन/प्रत्यर्पण आदि के संबंध में सम्यक् समीक्षा करते हुए संबंधित सेवा/संवर्ग हेतु लंबित सेवाशर्त्त नियमावलियों के गठन का प्रस्ताव दिनांक–31.08.2017 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया था। पुनः इस संबंध में विचार विमर्श के लिए दिनांक–30.11.2017 को प्रधान सचिव, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में एक बैठक आयोजित की गयी थी।

2. दिनांक–30.11.2017 को सम्पन्न विषयाधीन बैठक में निम्न निदेश संसूचित किये गये थे:–

- अपने विभागान्तर्गत लंबित सेवाशर्त्त नियमावलियों के संबंध में उक्त नियमावलियों के गठन की प्रासंगिकता/अनिवार्यता के बिन्दु पर समुचित परीक्षण कर लिया जाय।
- अल्प बल वाले सेवा/संवर्ग के लिए अलग से सेवाशर्त्त नियमावली गठित करने के स्थान पर समरूप सेवा/संवर्ग के लिए समेकित सेवाशर्त्त नियमावली का गठन किया जाय।
- इस क्रम में संबंधित सेवा/संवर्ग के लिए पदों की आवश्यकता/कैडर सामंजन/प्रत्यर्पण के बिन्दु पर प्रशासी विभाग के स्तर पर सम्यक् समीक्षा की जाय।
- उपर वर्णित बिन्दुओं के संबंध में समुचित कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से दिनांक–10.12.2017 तक कार्मिक विभाग को अवगत कराया जाय।

3/1/18
अवर सचिव
4
3/1/18

3. विषयाधीन संदर्भ में आपके विभागान्तर्गत कृत् कार्रवाई की सूचना अद्यावधि अप्राप्त है।

निदेशानुसार अनुरोध है कि दिनांक–30.11.2017 को सम्पन्न बैठक में संसूचित निदेश (यथा उपर्युक्त कंडिका–2 में वर्णित) के संदर्भ में वांछित प्रतिवेदन दिनांक–08.01.2018 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
02/01/18
(ओम प्रकाश साह)
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :–05 / विविध–14–27 / 2016 – 20 रॉची, दिनांक :– 03-01-18

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर / सभी मुख्य अभियंता (लघु सिंचाई सहित), जल संसाधन विभाग / अपर निदेशक, भू–अर्जन एवं पुर्नवास कार्यालय, जमशेदपुर / वेब इन्फॉरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/01/18
(राजेश बाखला)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :–05 / विविध–14–27 / 2016 – 20 रॉची, दिनांक :– 03-01-18

प्रतिलिपिः–संयुक्त सचिव, प्रभारी प्रशाखा–01, 02, 04, 09 एवं 14 / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–03, 04, 09 एवं 14 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि वांछित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 05.01.2018 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की कृपा की जाय। ताकि प्रतिवेदन कार्मिक विभाग, झारखण्ड रॉची को ससमय भेजा जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

03/01/18
(राजेश बाखला)
सरकार के अवर सचिव।